जसवंतपुरा डिस्कॉम के जेईएन को सात हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

कॉम्पलेक्स में लगे विद्युत कनेक्शन को 1 के.वी. सिंगल फेस से 15 के.वी. फेस में भार वृद्धि बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी थी

- एसीबी की अति. महानिदेशक पुलिस के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ जारी है, एसीबी द्वारा मामले में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा

जालोर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय जयपुर के निर्देशन में शुक्रवार को ए.सी.बी. जालोर इकाई द्वारा ट्रेप की कार्रवाई करते हुए जालोर जिले के जसवंतपुरा डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता अंकित तिवारी को विद्युत कनेक्शन की भार वृद्धि बढ़ाने के लिए सात हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी., जालोर इकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के जसवंतपुरा में रामसीन रोड पर स्थित कॉम्पलेक्स में लगे विद्युत कनेक्शन को 1 के.वी. सिंगल फेस से 15 के.वी. फेस में भार वृद्धि (लोड बढ़ाने) करने हेतु परिवादी से सात हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी जोधपुर, रेंज उप महानिरीक्षक हरेन्द्र कुमार महावर के सुपरवीजन में ए.सी.बी. जालोर ईकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड के नेतृत्व में शुक्रवार मय टीम के ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकित तिवारी पुत्र श्यामलाल तिवारी, निवासी पारसनाथ फैक्ट्री के पीछे आबूरोड, जिला सिरोही हाल कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्कॉम, जसवंतपुरा जिला जालोर द्वारा परिवादी से सात हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

जालोर के जसवंतपुरा डिस्कॉम के जेईएन अंकित तिवारी को सात हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

सहायक और कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

- फर्म की रिटर्नस नहीं भरने पर फर्म को डिफाल्टर नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी थी

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की चूरू टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत रतनगढ़ जिला चूरू के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (एसीटीओ) महेश कुमार व कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी (आईसीटीओ) नरेन्द्र सिंह एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत परिवादी की फर्म के रीटर्न्स नहीं भरने पर फर्म को डीफाल्टर नही करने की एवज में मांगी थी। फिलहाल एसीबी की टीमे आरोपितों के ठिकानों सर्च कर रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी टीम चूरू को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके द्वारा फर्म के रीटर्न्स नहीं भरने पर फर्म को डीफाल्टर नहीं करने के लिए परिवादी व उसके सीए के समक्ष वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत रतनगढ़ जिला चूरू के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (एसीटीओ) महेश कुमार व कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी (आईसीटीओ) नरेन्द्र सिंह दो लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है, जिस पर एसीबी चूरू के पुलिस उप अधीक्षक पुलिस शब्बीर खान के नेतृत्व में ट्रैप का आयोजन कर दोनों आरोपियों को एक लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर रिश्वत राशि बरामद की गई।

एसीबी की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव सीए के मार्फत एसीटीओ महेश कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में एक लाख रुपये रिश्वत के प्राप्त कर अपने कार्यालय में पास की सीट पर बैठे आईसीटीओ नरेन्द्र सिंह को दिये, जिसने उक्त रिश्वत मिनी कैरी बैग में डालकर अपनी पेन्ट में रख लिये। रिश्वत के एक लाख रुपये नरेन्द्र सिंह से बरामद की गई।

कार हादसे में घायल हुई महिला की मौत

अनूपगढ़, (निसं)। सड़क हादसे में घायल महिला की मौत हो गई। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। हादसा नेशनल हाईवे 911 पर हुआ था।

एएसआई कालूराम ने बताया कि संतोष देवी (42) की मौत हो गई। घटना 24 मार्च की दोपहर करीब 2:30 बजे की है। संतोष देवी अपने पति मनीराम मेघवाल (45), 14 महीने की बच्ची और चालक अमनदीप के साथ घड़साना से अनूपगढ़ लौट रही थी। रास्ते में अचानक कार का टायर फट गया। इससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में संतोष देवी को गंभीर चोटें आईं। अन्य तीन लोग मामूली चोटों के साथ बच गए। घायल संतोष देवी को पहले अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बीकानेर रेफर कर दिया गया। पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान 26 मार्च की रात उनकी मौत हो गई। एएसआई कालूराम ने बीकानेर पहुंचकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की। शव परिजनों को सौंप दिया है।

दिनदहाड़े फायरिंग करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

- फायरिंग करने वाले मुख्य षड्यंत्रकर्ता की तलाश जारी

उदयपुर, (कासं)। शहर के हिरणमगरी थाना पुलिस ने आवाज लगा कर मकान के बाहर बुलाकर पीड़ित पर फायरिंग करने वाले नकाबपोश दो बदमाशों को गिरफ्तार किया।

प्रकरण के अनुसार 23 मार्च को ऋषिनगर हिरणमगरी सेक्टर तीन निवासी चतरसिंह ने हिरणमगरी पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें उसने बताया कि सवेरे फाटक की आवाज सूनकर पत्नी ने बाहर आकर देखा तो नकाबपोश बाइक सवार दो बदमाश खड़े थे, जिनके कहने पर पत्नी के बुलावे पर मैं भी बाहर गया। इसी दौरान मुझ पर पिस्टल से फायर किया। निशाना चूकने से मेरी जान बच गई। चिल्लाने पर हमलावर फरार हो गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगनपुरोहित के सुपरविजन में हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में गठित दल ने तकनीकी अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर फायरिंग का खुलास करते हुए सुभाष लौहार पुत्र मदनलाल निवासी डांगियों की पंचोली हॉल वैशाली नगर प्रतापनगर व रघुवीरसिंह उर्फ विशाल पुत्र शंभूसिह निवासी मटुन हिरणमगरी को सूरत मुम्बई हाइवे से डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। फायरिंग करने वाले मुख्य षड्यंत्रकर्ता दलपतसिंह की तलाश की जा रही है।

कुछ दिन पूर्व चतरसिंह एवं दलपतसिंह व उसके साथियों ने जमीन का सौदा किया था। विवाद होने पर जमीन मालिक को रूपये वापस करने थे। चतरसिंह व साथी तैयार हो गए लेकिन दलपतसिंह ने इंकार कर दिया। चतरसिंह ने लगातार रूपये चुकाने के लिए कहना जारी रखा। इस पर दलपतसिंह ने अपने भांजे रघुवीरसिंह साथी सुषाभ लौहार के जरिये वारदात को अंजाम दिया। जिसके भय से चतरसिंह रूपये मांगना छोड़ दे। आरोपी सुभाष के खिलाफ पूर्व में दो अपराधिक प्रकरण दर्ज है।

दो महिला गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। वाघपुरा थाना पुलिस ने दुकान में घुस कर जेवरात चोरी करने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी किए जेवरात बरामद किए। पीड़ित अमित कुमार जैनने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। जिसमें उसने बताया कि 7 जनवरी को मैं दुकान सागवाड़ा पाल में स्थित है बंद कर खेरवाड़ा चला गया। रात में अज्ञात चोर दुकान में घुस कर 12 किलो चांदी के जेवरात व 120-150 ग्राम सोने के जेवरात व करीब तीस हजार रूपये चुरा ले गए। मामले में शारदा देवी पत्नी शिवनाथ रावल तथा सेजन देवी पत्नी हकसी दामा को गिरफ्तार किया।

सट्टा लगाते तीन गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के घंटाघर थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले तीन सटोरियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से मोबाइल जब्त किए।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर डीएसटी टीम प्रभारी श्यामसिंह रत्नू, घंटाघर थाना एसआई औंकारसिंह के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शुक्रवार रात में माणिक्यलाल वर्मा पार्क दूधतलाई पहुंचे। जहां पर हिमांशु पुत्र मदनलाल निवासी कोल पोल बड़ा बाजार, मुकुल पुत्र श्यामलाल निवासी शक्तिनगर भुपालपुरा, जय पुत्र भूपेन्द्र निवासी मठ्ठा स्ट्रीट श्रीनाथजी के मंदिर केपास सूरजपोल को अपने अपने मोबाइल से सट्टा खेलाते हुए गिरफ्तार किया।

जमीन विवाद में दो पक्षों के लोग भिड़े, परस्पर मुकदमे दर्ज

बीकानेर, (निसं)। रानीबाजार के बागीनाड़ा इलाके में दो पक्षों के लोगों में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के लोगों को चोटें लगी जिनमें महिला-बच्चे भी शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार बागीनाड़ा इलाके में गहलोत क्वार्टर हैं। यहां रहने वाले दो पक्षों के लोगों में जमीन विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने हो गए और जमकर मारपीट की। मारपीट में महिला-बच्चों सहित आठ-दस लोग चोटिल हो गए जिन्हें पीबीएम अस्पताल ले जाया गया। इत्तला मिलने पर कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसएचओ विश्वजीतसिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दी गई है जिन पर परस्पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक पक्ष के किशन गहलोत की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वह अपने भाई विष्णु गहलोत सहित बागीनाड़ा स्थित क्वार्टर में रहता है। पड़ोसी हनुमान गहलोत पूर्वजों की जमीन पर अवैध निर्माण कर रहा था जिस पर स्टे है। बीडीए से गाड़ी आई और निर्माण रुकवा दिया। गाड़ी वापस जाते ही निर्माण शुरू किया जिसका विरोध करने पर जानलेवा हमला कर दिया। हनुमान गहलोत, विजय गहलोत, शांतिलाल, मोहित सोलंकी, वेदप्रकाश, मानवेन्द्र सोलंकी, नेमीचंद, गिरधारी, पंकज सांखला, सिमरन, लक्ष्मी, शांति व बादू देवी व 10-15 अन्य ने ईंट, पत्थर, लाठी, सरियों से हमला कर दिया। दूसरे पक्ष के गहलोत क्वार्टर निवासी हनुमान गहलोत की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि पड़ोसी भंवरलाल, मोतीलाल, पूनम, विष्णु, किशन, गोरधन, दीपक, श्यामलाल, मनीष, ब्रह्मदेव, राजू, मनीष, मयंक, देवांशु, युवराज, गुड़िया, हेना, रेखा, गुगु, ज्योति, किशन का साढू अशोक, ब्रजी देवी व अन्य ने मिलकर अभद्र व्यवहार किया। आंखों में मिर्च डाली और ईंट-पत्थरों से मारपीट की। मुकदमों की जांच एएसआई जिलेसिंह को सौंपी गई है। गौरतलब है कि दोनों पक्षों में पूर्व में भी मुकदमे हो चुके हैं।

जमीन विवाद में चाचा की हत्या के मामले में दो भतीजों को उम्रकैद

- तीन महिला आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया
- अभियोजन पक्ष ने 20 गवाह और 73 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए

अनूपगढ़, (निसं)। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-02 के एडीजे विपिन बिश्नोई ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जमीनी विवाद में चाचा की हत्या के मामले में दो भतीजों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने जगजीत सिंह और मनजीत सिंह उर्फ मंगल सिंह को दोषी ठहराया और उन पर विभिन्न धाराओं के तहत आर्थिक दंड भी लगाया। वहीं, तीन महिला आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। यह घटना 27 अप्रैल 2019 की है।

अपर लोक अभियोजक एडवोकेट तिलक राज चुघ के अनुसार, चक 12-पी में जरनैल सिंह, उनके भाई गुरनाम सिंह और ताया रूप सिंह के नाम 8-8 बीघा जमीन थी। वे 28 वर्षों से इस जमीन पर काबिज थे। मृतक जरनैल सिंह के भतीजे मनजीत सिंह और जगजीत सिंह भी उसी इलाके में रहते थे और इस जमीन व ढाणी पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने 20 साल पहले अपने हिस्से की जमीन पर मकान बनाया था, जिसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना के दिन सुबह करीब 10 बजे जरनैल सिंह को तूड़ी वाले कमरे से आवाजें आईं। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो जगजीत सिंह के हाथ में तेज धारदार कापा और मनजीत सिंह के हाथ में कसिया था। वहीं, सुंदरा बाई, सुखा बाई और मनजीत सिंह की पत्नी परविंद्र कौर के हाथों में लोहे की रॉड और लाठियां थीं। ये सभी जरनैल सिंह के तूड़ी वाले कमरे का ताला तोड़ रहे थे। जब जरनैल सिंह ने उन्हें रोका तो मनजीत सिंह ने कसिया और जगजीत सिंह ने कापा से हमला कर दिया। तीनों महिलाओं ने भी लोहे की रॉड और लाठियों से हमला किया। शोर सुनकर जरनैल सिंह की पत्नी जसविंद्र कौर मौके पर आईं, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर जमीन पर पटक दिया। जब शिकायतकर्ता मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने जरनैल सिंह और जसविंद्र कौर को जमीन पर गिराकर पिटते हुए देखा।

गंभीर चोटों के कारण जरनैल सिंह और जसविंद्र कौर अधमरे हो गए तो आरोपी उन्हें मृत समझकर फरार हो गए। इसके बाद 108 एंबुलेंस से दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जरनैल सिंह की हालत गंभीर बताई और श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। वहां भी हालत बिगड़ती देख उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान शाम 4:30 बजे उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने 20 गवाह और 73 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जगजीत सिंह और मनजीत सिंह उर्फ मंगल सिंह को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। अगर दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करते, तो उन्हें अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अदालत ने सुंदरा बाई, सुखा देवी और कर्मजीत कौर उर्फ परविंद्र कौर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

परीक्षा नौ को

अजमेर, (कासं)। रा. मा. शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा वाणिज्य वर्ग की निरस्त की गई व्यवसाय अध्ययन विषय की परीक्षा बुधवार 9 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। बोर्ड सचिव कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा वाणिज्य वर्ग में 22 मार्च को हुई व्यवसाय अध्ययन की परीक्षा को निरस्त किया गया था। बोर्ड प्रशासन 12वीं वाणिज्य वर्ग की व्यवसाय अध्ययन की परीक्षा दोबारा कराएगा।

बीकानेर कोर्ट परिसर में वकील और पुलिसकर्मी भिड़े

- पार्किंग को लेकर हुई मारपीट, हेड कॉन्स्टेबल को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े

बीकानेर, (निसं)। कोर्ट परिसर में वकील और पुलिसकर्मी आमने-सामने हो गए। पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर मारपीट करने तक का आरोप लगा रहे है। घटना शुक्रवार दोपहर तीन बजे की है। इस घटना के बाद वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मामला बढ़ता देख पुलिस अधिकारी कोर्ट पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समझाइश शुरू की।

बताया जा रहा है कि पूरा विवाद पार्किंग को लेकर हुआ है। एक वकील अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था। इस दौरान वहां खड़े पुलिसकर्मी ने टोक दिया। इससे नाराज होकर दोनों के बीच बोलचाल हो गई। बात इतनी बिगड़ी कि मारपीट शुरू हो गई। बाद में बड़ी संख्या में वकीलों के मौके पर पहुंचने से विवाद बढ़ गया। पुलिसकर्मी को लेकर पार्किंग में गए। एक हेड कॉन्स्टेबल के व्यवहार से वकीलों में काफी नाराजगी दिखाई दी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। इधर, वकीलों से पुलिस अधिकारियों की ओर से समझाइश की गई, लेकिन वकीलों की मांग है कि हेड कॉन्स्टेबल को निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग खण्ड सॉचौर

एन.एच. PHED Campus सॉचौर (जालोर)

Te.Pho.No. 02979-283624 E-mail: eephedscr@gmail.com

क्रमाक-.अ.अ./जन स्वा./सॉ/निविदा/2024-25/1875 दिनांक-20.03.2025

ई-निविदा सूचना संख्या-30/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से खण्ड सॉचौर के अधीन विभिन्न कार्य कराने हेतु लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

कार्यालय का नाम व स्थान	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा.अभि.विभाग खण्ड सांचौर
निविदा का कार्य	Annual Rate Contract For Transportation of Water (Sanchore And Chitalwana)
निविदा की कुल लागत (राशि लाखों में)	कुल निविदा 17 रू. 250.00 लाख
निविदा प्रपत्र वेबसाईड पर उपलब्ध एवं ऑन लाईन सबमिट की दिनांक	20.03.2025 से 02.04.2025 को 13.00 बजे तक
निविदाएं खोलने की तिथि व समय UNB NO.	03.04.2025 को 11.00 बजे से PHE2425WSRC11905, PHE2425WSRC11906, PHE2425WSRC11907, PHE2425WSRC11908, PHE2425WSRC11909, PHE2425WSRC11910, PHE2425WSRC11911, PHE2425WSRC11912, PHE2425WSRC11913, PHE2425WSRC11915, PHE2425WSRC11916, PHE2425WSRC11917, PHE2425WSRC11918, PHE2425WSRC11919, PHE2425WSRC11921, PHE2425WSRC11923, PHE2425WSRC11924

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://dipr.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा एवं भरा जा सकता है। शुद्धि पत्र केवल वेबसाईड पर ही अपलोड किये जायेंगे।

(पृथ्वीसिंह) अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग,खण्ड सॉचौर

DIPR/C/4385/2025

BHARATPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

S. No. :- Tech/BDA/2024-25/2768 Date :- 20/03/2025

Expression of Interest For Preparation of GIS Based Master Development Plan-2041 For Notified Area of Bharatpur Development Authority

Name of work :- Preparation Of GIS Based Master Development Plan-2041 for notified area of Bharatpur Development Authority Bharatpur.

Type of Contract	Lum Sum Amount type contract
Place of information regarding bid document and opening of bids	Bharatpur Development Authority (BDA)\ Bharatpur (Raj.) Pin 321001, Phone no. 05644-230688/9413399626 Email :- **uitbharatpur@gmail.com**
Price of Bid document and E-Bid processing fee	The tender fee is Rs. 2000.00 (Rupees Two Thousand only and processing fee is Rs. 2000 (Rupees Two Thousand only) has to be paid though only on Urban Service Portal on website **www.urban.rajasthan.gov.in/uitbharatpur** Executive Engineer, Bharatpur Development Authority (BDA), Bharatpur.
Bid Security (Earnest Money)	Rs. @ 2% of contract amount for bidders by online on Urban Service portal or by Bank Guarantee in favour of commissioner BDA, Bharatpur
Period of online Sale of eporc portal	From 10 am on 24.03.2025 to 6 pm 15.04.2025
Last Date and Time of online submission	Up to 12 Noon on 15.04.2025
Last Date and Time of submitting Hard Copy of Tender Fee, RISL Fee and Earnest Money undertaking	Up to2 PM on 15.04.2025
Online Opening of Technical Bid	From 4 PM on 15.04.2025
Presentation Date	From 5 PM on 22.04.2025 at office of BDA Bharatpur
Queries related to EOI can be mailed at email id – uitbharatpur@gmail.com	Queries can be mailed at emai id- uitbharatpur@gmail.com up to 05.00PM 08.04.2025
Estimated Cost of Consultancy Work	Rs 300.00 Lac
Online Opening of Financial BID	Will be informed later after Technical Evaluation
Completion Period	12 Months
Pre Bid Meeting	Online 04-04-2025

Executive Engineer
BDA, Bharatpur

Raj.Samwad/C/24/14154

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PHED
PROJECT DIVISION KARAULI HQ TODABHIM

E-Mail-eeproj.kar.phed@rajasthan.gov.in

3955-63 **NIT No. 120-121/2024-25** 24/03/2025

Online tenders are invited on behalf of the Governor of Rajasthan for the following works from contractors enlisted in suitable Class with the PHED Rajasthan and meeting eligibility criteria, Contractors enlisted with other Departments of Government of Rajasthan and enlisted with CPWD postal, Telecom, Railways, MES state Govt/Central Govt. Undertaking/Organizations equivalent of Rajasthan meeting eligibility criteria may apply after giving prescribed Earnest Money. NIT can be seen at www.dipronline.org/http//SPPP.rajasthan gov in and Tender documents can be downloaded from the web site http://eproc.raisthan.gov.in Details of the tender notification and criteria can also be seen in NIT.
NIB code PHE2425A5541

NIT No.	Name of Work	Estt. Cost Rs. In Lacs	Tender Fee Rs	Processing Fee Rs	EMD Rs in Rs (2%)	Last Date of Bld Submission end & Time	Bld Opening date & time	Compl-etion Period
120/2024-25	Rate Contract of Drilling of 125mm (MS Pipe) Nominal diameter bore hole for Hand Pumps and installation of India Mark-II Hand Pump in Combination Strata complete with material & labour charges in Sub Division Todabhim (Urban/Rural). **UBN is PHE2425WSRC12148**	60.00	1000	1000	120000	4.4.2025 at 6.00 PM	7.4.2025 at 11.00 AM	12 month
121/2024-25	Rate Contract of Drilling of 125mm (MS Pipe) Nominal diameter bore hole for Hand Pumps and installation of india Mark-II Hand Pump in Combination Strata complete with material & labour charges in Sub Division Nadoti (Rural). **UBN is PHE2425WSRC12147**	60.00	1000	1000	120000	4.4.2025 at 6.00 PM	7.4.2025 at 11.00 AM	12 month

Cost of Tender Documents shall be paid in The Processing fee of Rs. 500/-, Tender fee Rs. 500/-,Earnest Money as per tender shall be paid or deposited online through single challan for e-procurement after making of profile on e-grass by bidders. Term and Conditions:- Bidders who to participate in bidding will have to procure digital certificate as per IT Act 2000 to sign their electronic bids. Tenders are to be procured and to be submitted only in electronic format on website http.//eproc.rajasthan.gov.in 1. The Processing fee of Rs. 1000/-, Tender fee Rs. 1000/-, Earnest Money as per tender shall be paid or deposited online through single challan for e-procurement after making of profile on e-grass by bidders.

2. Tender fee, Earnest money and RISI. fee shall be deposited in favor of EE PHED PROJECT DIV.KARAULI H? TODABHIM (DDO Code-23532) as in following heads.

a. Budget Head for tender fee: - 0075-00-800-52-01
b. Budget Head for RISL fee: 8658-00-102-16-02
c. Earnest Money:- 8443-00-108-00-00

3. If holiday is declared on submission & opening date of tender the scheduled activity will take place on next working day.

Executive Engineer
Public Health Engineering Department
Division Karaull HQ Todabhim

DIPR/C/4382/2025

कार्यालय नगरपालिका उनियारा (टोंक) राज.

Office of the Municipal Board, Uniara (Tonk) Rajasthan

Tel.- (01436) 294015 E-mail : npuniyarai@gmail.com

क्रमांक/न.पा.उ./ निविदा/2023–24/5369 दिनांक : 21.03.2025

ई– निविदा सूचना 2024

नगरपालिका उनियारा (टोंक) द्वारा नगर निकाय उनियारा एवं स्वायत्त शासन विभाग के समुचित वर्ग के सूचीबद्व ठेकेदारों/संवेदको एवं केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनो में सक्षम क्षेणी के संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म एवं निविदा से सम्बन्धित विवरण व शर्ते वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in/eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

NIB NO- DLB2425A6883

अध्यक्ष नगरपालिका उनियारा (टोंक) अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका उनियारा (टोंक)

राज.संवाद/सी/24/14160

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, कि0रेनवाल, जिला जयपुर (राज.)

क्रमांक/न.पा.कि.रे/24–25/स्टोर/3961 दिनांक 27.03.2025

-: ऑनलाईन निविदा सूचना 09/2024-2025 :-

नगर पालिका कार्यालय कि0रेनवाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 दर संविदा के माध्यम से कार्य करवाये जाने है। जिस हेतु उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेंन्ट प्रकिया द्वारा निम्नांकित कार्यो हेतु ई–निविदा आंमत्रित की जाती हैं। निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनांक 15.04.2025 तक निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है तथा अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में देखी जा सकती है।

UBN No. DLB2425SLRC22740, DLB2425SLRC22741, DLB2425SLRC22742, DLB2425SLRC22743

राज.संवाद/सी/24/14115 अध्यक्ष अधिशाषी अधिकारी

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय संभागीय मुख्य अभियंता (जयपुर संभाग)
पुराना पॉवर हाऊस, बनीपार्क, जयपुर
टेलीफैक्स : 0141 – 2201489, इमेलः zcejz@jvvnl.org

ई– निविदा सूचना

ई–निविदा दो भागों में (तकनीकी–वाणिज्यिक), जयपुर डिस्कॉम के टोंक सर्किल के सहायक अभियंता A-I टोंक अधिकार क्षेत्र में 33/11 केवी सबस्टेशन सोनवा मोड़ का निर्माण कार्य और 33 केवी लाइन व 11 केवी इंटरकनेक्शन का कार्य टीएन–107 के अंतर्गत एआरसी पर योग्य निविदादाताओं से श्रम दर पर आमंत्रित किये जाते है। योग्य निविदादाता सम्पूर्ण निविदा संबंधित दस्तावेज ई – प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 03.04.2025 से डाउनलोड कर सकते है। निविदायें ऑनलाईन ई– पोर्टल पर दिनांक 15.04.2025 को सांय 05:00 बजे तक ही स्वीकार की जावेगी। निविदा संबंधी जानकारी कार्य का विवरण इत्यादि जयपुर विद्युत वितरण निगम की वेब साईट www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, http://www.sppp.rajasthan.gov.in & http://eproc.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। UBN: VVN2425WSOB01376

जेपीआर–2981(2025)

संभागीय मुख्य अभियंता (जयपुर संभाग)

राज.संवाद/सी/24/14191 बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6507

राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना प्रबंधक एवं अधीक्षण अभियंता, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, केकडी

ई-मेल आई.डी.- sewedckekri@gmail, sewdse.kekri@rajasthan.gov.in

क्रमांक-801 दिनांक-27.03.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 23,24,25/2024-25/केकड़ी, सरवाड़, भिनाय

(NIB Code: WSC2425A0708 से WSC2425A710)

राजस्थान राज्यपाल महोदय की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जिले की विभिन्न पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल 3 पेकेज में वर्णित कार्यो का डिफेक्ट लाईबिलीटी अवधि सहित रू. 87.81 लाख रू. 67.05 लाख एवं रू. 106.90 लाख सम्पादन कराने के लिये उपयुक्त श्रेणी के राजस्थान/केन्द्र सरकार के विभागों/अधिकृत संगठनों में पंजीकृत संवेदकों से https://eproc.rajasthan.gov.in पर ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन ई-निविदाऐं दिनांक 27.03.2025 से 05.04.2025 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एवं शर्ते उक्त पोर्टल एवं https://sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर UBN: WSC2425WSOB01453 से WSC2425WSOB01455 तक देखी जा सकती है।

परियोजना प्रबंधक एवं अधीक्षण अभियंता,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, केकड़ी

DIPR/C/4514/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग खण्ड सॉचौर

एन.एच.68 PHED Campus सॉचौर (जालोर)

Te.Pho.No. 02979-283624 E-mail: eephedscr@gmail.com

क्रमाक-.अ.अ./जन स्वा./सॉ/निविदा/2024-25/1911 दिनांक-25.03.2025

ई-निविदा सूचना संख्या-31/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से खण्ड सॉचौर के अधीन विभिन्न कार्य कराने हेतु लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

कार्यालय का नाम व स्थान	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा.अभि.विभाग खण्ड सांचौर
निविदा का कार्य	Annual Rate Contract of Regular Mainitenance of Various Tubewell with Stater etc. of Various water supply schemes in Sub Division I, II, III Sanchore.
निविदा की कुल लागत (राशि लाखों में)	कुल निविदा 03 रू. 45.00 लाख
निविदा प्रपत्र वेबसाईड पर उपलब्ध एवं ऑन लाईन सबमिट की दिनांक	25.03.2025 से 07.04.2025 को 13.00 बजे तक
निविदाएं खोलने की तिथि व समय	08.04.2025 को 11.00 बजे से
UNB NO.	PHE2425WSRC12190, PHE2425WSRC12191, PHE2425WSRC12192

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://dipr.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा एवं भरा जा सकता है। शुद्धि पत्र केवल वेबसाईड पर ही अपलोड किये जायेंगे।

(पृथ्वीसिंह) अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड सॉचौर

DIPR/C/4432/2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर

स्वास्थ्य भवन, त्यागी वाटिका, जेल वैल, बीकानेर

फोन 0151-2201142 email: eemhbikaner@ymail.com

क्रमांक-EE/M&H/BKN/2024-25/4492 दिनांक-20.03.2025

ई-टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या-42/2024-25

निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में कुल रू. 755.00 लाख के 14 स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यों हेतु निविदा में बताये अनुसार श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष उपर्युक्त सिविल श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे/एमईएस इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त सिविल श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेबसाईट www.dipronline.org, http://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वेब साईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता है।

UBN: 1. NRH2425WSOB02589, 2. NRH2425WSOB02590, 3. NRH2425WSOB02591, 4.NRH2425WSOB02592, 5. NRH2425WSOB02593, 6. NRH2425WSOB02594, 7. NRH2425WSOB02595, 8. NRH2425WSOB02596, 9. NRH2425WSOB02597, 10. NRH2425WSOB02598, 11. NRH2425WSOB02604, 12. NRH2425WSOB02605, 13. NRH2425WSOB02606, 14. NRH2425WSOB02607

(राजेश कुमार सोलंकी)
अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर

DIPR/C/4306/2025